कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

कमांकःनपाश्रीमा / 2022–23 / 1195 दिनांकः 15/06/022

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.06.2022 को दोपहर 3.30 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 03 (तीन) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यो की उपस्थिति रही :–

1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर (हरिनारायण) (अध्यक्ष) उपस्थित।
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर (रजत जैन) (सदस्य सचिव) उपस्थित।
3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर (मो. अजहर जाटू) (सदस्य) उपस्थित।
4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर (लोकेश निठारवाल) (सदस्य) उपस्थित।
5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर (रक्षपाल स्वामी) (विशेष आमंत्रित सदस्य) उपस्थित।
6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर (निश्चल बनर्जी) (विशेष आमंत्रित सदस्य) उपस्थित।

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :–

1. **श्री प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र श्री रधुवीर प्रसाद अग्रवाल वार्ड नं. 22 गौरव पथ रोड श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 49.74 वर्गमीटर पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार /निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र श्री रधुवीर प्रसाद अग्रवाल वार्ड नं. 22 गौरव पथ रोड श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 49.74 वर्गमीटर पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.05.2022 को प्रस्तुत किया गया । जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में /पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 06.06.2022 की व्यावसायिक निर्माण

स्वीकृति हेतु तकनिकी मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में व्यावसायिक आरक्षित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.11 (9)नविवि/2020 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 में संशोधित/ पुर्नस्थापित/ अतिरिक्त जोडे गये प्रावधान अनुसार समस्त चौडाई की सडको पर स्थित 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डो पर अग्र सेटबैक अनिवार्य नही होगा। उक्त वर्णित संशोधन एवं राजस्थान विनियम 2020 के प्रावधानो अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सैटबैक छोडते हुए आवेदित उचाई 12.88 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (बेसमेन्ट, धरातल, प्रथम तल, द्वितीय तल) अनुज्ञेय की जा सकती है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार भूखण्ड पर आवेदक का स्वामित्व सिद्व हो रहा है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1079 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति दिये जाने के संबंध में निर्धारित चैक लिस्ट में भवन मानचित्र अनुमोदन अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600/श्रीमाधोपुर/2022/1347 दिनांक 09.06.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र का अनुमोदन किया जाकर तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो की पालना में शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा एम्पावर्ड समिति को राय दी गई कि सभी व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति को स्वीकृति हेतु मण्डल बैठक से स्वीकृत करवाया जाये।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श आवेदक श्री प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र श्री रधुवीर प्रसाद अग्रवाल से नियमानुसार शुल्क लिया जाकर वार्ड नं. 22 गौरव पथ रोड श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सैटबैक छोडते हुए आवेदित उचाई 12.88 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (बेसमेन्ट, धरातल, प्रथम तल, द्वितीय तल) जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. **श्री राम बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये श्री प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र श्री रधुवीर प्रसाद अग्रवाल वार्ड नं. 22 गौरव पथ रोड श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 86.64 वर्गमीटर पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार /निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीराम बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये श्री प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र श्री रधुवीर प्रसाद अग्रवाल वार्ड नं. 22 गौरव पथ रोड श्रीमाधोपुर में स्वयं

के स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 86.64 वर्गमीटर पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.05.2022 को प्रस्तुत किया गया । जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में /पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 06.06.2022 की व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति हेतु तकनिकी मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में व्यावसायिक आरक्षित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.11 (9)नविवि/2020 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 में संशोधित/ पुर्नस्थापित/ अतिरिक्त जोडे गये प्रावधान अनुसार समस्त चौडाई की सडको पर स्थित 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डो पर अग्र सेटबैक अनिवार्य नही होगा। उक्त वर्णित संशोधन एवं राजस्थान विनियम 2020 के प्रावधानो अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सैटबैक छोडते हुए आवेदित उचाई 8.91 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (बेसमेन्ट, धरातल) अनुज्ञेय की जा सकती है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार भूखण्ड पर आवेदक का स्वामित्व सिद्व हो रहा है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1080 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति दिये जाने के संबंध में निर्धारित चैक लिस्ट में भवन मानचित्र अनुमोदन अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600/श्रीमाधोपुर/2022/1347 दिनांक 09.06.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र का अनुमोदन किया जाकर तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो की पालना में शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा एम्पावर्ड समिति को राय दी गई कि सभी व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति को स्वीकृति हेतु मण्डल बैठक से स्वीकृत करवाया जाये।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमश आवेदक श्रीराम बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये श्री प्रहलाद राय अग्रवाल पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद अग्रवाल वार्ड नं. 22 गौरव पथ रोड श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सैटबैक छोडते हुए आवेदित उचाई 8.91 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (बेसमेन्ट, धरातल) जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8. **प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के प्रचार–प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 से सम्बन्धित होर्डिग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर–घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप–विभाजन, पुर्नगठन, ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 735 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 540 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(हरिनारायण) अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमाधोपुर	(रजत जैन) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर	15/06/2022 (मो. अजहर जाट) उप/जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर (मो. अजहर जाट) उप/जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर
(रक्षपाल स्वामी) विधि सलाहकार	Lokesh Mithurwal (लोकेश मिठारवाल) 15/06/2022 कनिष्ठ अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका, श्रीमाधोपुर	15-6-22 (निश्चल बंसल) लेखा प्रभारी प्रभारी लेखा शाखा नगरपालिका श्रीमाधोपुर